2008:**CGHC**:2993-**DB** **प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठः माननीय श्री राजीव गुप्ता ,मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा,न्यायमूर्ति

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 831/2008

याचिकाकर्ता **सेंट विन्सेंट पल्लोटी महाविद्यालय**

विरूदध

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य**

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक2291/2008

याचिकाकर्ता **निर्मल वाइस प्रोविंन्स जगदलपुर**

विरुद्घ

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य व एक अन्य**

विचारार्थ आदेश

सही/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधिपति

माननीय श्री राजीव गुप्ता , मुख्य न्यायाधिपति **मैं सहमत हूँ**

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति

आदेश पारित दिनाँक 23-7-2008

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठः

माननीय श्री राजीव गुप्ता ,मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा ,न्यायमूर्ति

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 831/08

याचिकाकर्ता		सेंट विन्सेंट पल्लोटी महाविद्यालय, द्वाराः फादर आस्कर पन्ना, आयु लगभग 48 वर्ष, विद्या प्रोत्साहन संघ,निवासी पल्लोटी आश्रम लोधीपारा, कापा, रायपुर, (छ.ग.)
	विरुद्‌घ	
उत्तरवादीगण		1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः सचिव उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) 2. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, द्वाराः रजिस्ट्रार ,रायपुर (छ.ग.) 3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् जिला रायपुर , रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक2291/2008

याचिकाकर्ता		1. निर्मल वाइस प्रोविन्स जगदलपुर,द्वाराः सचिव फादर मैथ्यू कुनैल, आयु 44 वर्ष, निवासी निर्मल सदन, धरमपुरा जगदलपुर , जिला बस्तर 2. क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर, द्वाराः प्रभारी प्राचार्य फादर अब्राहम कन्नमपाला,आयु 44 वर्ष, कार्यालय गीदम रोड, जगदलपुर जिला बस्तर में है ।
	विरुद्‌घ	
उत्तरवादीगण		1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः सचिव उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) 2. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, द्वाराः रजिस्ट्रार ,रायपुर (छ.ग.) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् जिला रायपुर , रायपुर (छ.ग.)

उपस्थितः-

श्री बी.जी. कुलकर्णी एवं

श्री वी.ए. गोवर्धन अधिवक्तागण : दोनों याचिकाओं में याचिकाकर्तागण की ओर से

श्री एन.के. अग्रवाल , उप-महाधिवक्ता : राज्य /उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से

श्री विनय पाण्डेय ,अधिवक्ता : उत्तरवादी क्रमांक 2 पं. रविशंकर शुक्ल विश्व-विद्यालय की ओर से

आदेश

(पारित करने का दिनांक 23 जुलाई, 2008)

धीरेंद्र मिश्रा,न्यायाधिपति

1. उपरोक्त रिट याचिकाओं का निराकरण इस एक ही समान आदेश द्वारा किया जा रहा है क्योंकि इन दोनों याचिकाओं में विधि का समान प्रश्न अन्तर्वलित है। तथापि, इस आदेश के प्रयोजनार्थ,रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 831/08 में उल्लिखित तथ्यों को संदर्भित किया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ता महाविद्यालय, जो एक गैर-अनुदान प्राप्त महाविद्यालय है और राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है, उत्तरवादी क्रमांक 2-विश्वविद्यालय से संबद्ध है। उत्तरवादी क्रमांक 2 विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश विश्व विद्यालय अधिनियम, 1973 (संक्षेप में 'अधिनियम') के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित है और यह

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय भी है। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाविद्यालय संहिता का परिनियम-28 विरचित किया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि परिनियम-28 के प्रावधान, जो अल्पसंख्यक संस्थानों के पक्ष में सृजित अधिकारों के साथ असंगत हैं, अल्पसंख्यक संस्थानों के विरुद्ध लागू नहीं किए जा सकते।

3. उत्तरवादी क्रमांक 2- विश्वविद्यालय ने परिनियम-28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के कथित प्रयोग में याचिकाकर्ता महाविद्यालय को शासी निकाय की बैठकों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 2- विश्वविद्यालय के नामांकित व्यक्तियों द्वारा भाग ली गई बैठकों की क्रमांक भी शामिल है। आगे निर्देश दिया गया कि परिनियम-28 के प्रावधानों का दिनांक 9.10.2006 तक अनुपालन किया जाना है और प्रधानाचार्य और शिक्षकों की नियुक्ति का विवरण उनके वेतन के विवरण के साथ मांगा गया है। दिनांक 19.6.2007 के एक अन्य आंतरिक संचार (अनुलग्नक पी-8) में उल्लेख किया गया है कि यदि शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम-28 के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है, तो ऐसे संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2007-08 के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और तदनुसार, याचिकाकर्ता महाविद्यालय को बीबीए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्रों को प्रवेश नहीं देने का निर्देश दिया गया याचिकाकर्ता महाविद्यालय को अनुलग्नक - पी /11 के माध्यम से परिनियम 28 के अनुसार नियु क्तियाँ करने का निर्देश दिया गया है । उपरोक्त निर्देशों को अनुलग्नक पी-12 और पी-13 के माध्यम से दोहराया गया और याचिकाकर्ता महाविद्यालय को सूचित किया गया कि बीबीए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्रों को प्रवेश देने पर महाविद्यालय पर अधिरोपित प्रतिबंध के दृष्टिगत, जिन छात्रों को प्रवेश दिया गया है, उनके नामांकन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे और उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तरवादी क्रमांक 2- विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता महाविद्यालय को निर्देशित किया कि वह महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्रों के परीक्षा फॉर्म अग्रेषित

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न करे, क्योंकि विश्वविद्यालय ने प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। उत्तरवादी क्रमांक 2-विश्वविद्यालय ने सूचना दिनांक 4.1.2008 (अनुलग्नक पी-19) के माध्यम से याचिकाकर्ता से कहा कि महाविद्यालय में बीबीए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश पर प्रतिबंध के बावजूद, याचिकाकर्ता महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए छात्रों को प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया और उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने की भी अनुमति प्रदान की, अतः उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई क्यों न की जाए यद्यपि, जवाब का इंतजार किए बिना, उत्तरवादी क्रमांक 2-विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता महाविद्यालय के उन छात्रों की परीक्षा रद्द कर दी, जो उसी दिन बी.ए. पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के अंग्रेजी की परीक्षा में उपस्थित हुए थे और उन्हें अनुलग्नक पी-20 के अधीन भविष्य की परीक्षा में उपस्थित होने से रोक दिया गया था।

4. उपरोक्त संचार प्राप्त करने के बाद,याचिकाकर्ता महाविद्यालय ने दिनांक 8.1.2008 के पत्र (अनुलग्नक पी -21) के माध्यम से उत्तरवादी क्रमांक 2- विश्वविद्यालय को सूचित किया कि याचिकाकर्ता संस्थान विश्वविद्यालय के विरुद्ध प्रस्तुत रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4096/07 को वापस लेने के लिए तैयार है और साथ ही परिनियम-28 व अन्य नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार है। उन्होंने बीबीए पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्रों को प्रवेश देने के लिए अपने पत्र दिनांक 9.1.2008 (अनुलग्नक पी -22) के माध्यम से क्षमा भी मांगी। उत्तरवादी क्रमांक 2 विश्वविद्यालय ने अपने ज्ञापन दिनांक 1.2.2008 (अनुलग्नक पी -23) के माध्यम से याचिकाकर्ता महाविद्यालय के छात्रों को वार्षिक परीक्षा, 2008 में अमहाविद्यालयीन छात्रों के रूप में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की और उन्हें अन्य महाविद्यालयों में नियमित छात्रों के रूप में दूसरे वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की विशेष अनुमति प्रदान की। इस आदेश द्वारा यह घोषित किया गया कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय बी.बी.ए. पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर के अध्यापन के लिए

पात्र नहीं होगा तथा परिनियम-28 का अनुपालन न करने के कारण शैक्षणिक सत्र 2008-09 के प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों को प्रवेश भी नहीं देगा।

5. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका के माध्यम से निम्नलिखित अनुतोषों की प्रार्थना की हैः-

> "7.1 परमादेश रिट या उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, और दिनांक 01.02.2008 के पत्र (अनुलग्नक पी-) के अनुसार उत्तरवादी क्रमांक 2 विश्वविद्यालय के निर्णय और कार्रवाई को कृपया रद्द किया जाए।
>
> 7.2. परमादेश रिट या उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, उत्तरवादी क्रमांक 2 विश्वविद्यालय को कृपया निर्देश दिया जाए कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 का उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता पर परिनियम क्रमांक 28 (विशेष रूप से भाग **II**, भाग-**IV**, खंड क्रमांक 17 से 21, खंड क्रमांक 29 और भाग **VI**, खंड क्रमांक 30 से 32) के प्रावधानों को लागू न करे।
>
> 7.3. परमादेश रिट या उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, उत्तरवादी क्रमांक 2 विश्वविद्यालय को एम.ए., एम.कॉम., बी.कॉम., बी.एससी. प्रथम वर्ष के प्रवेश पर विचार करने हेतु निर्देशित किया जाए। शैक्षणिक वर्ष 2007-08 में याचिकाकर्ता महाविद्यालय में बी.बी.ए., बी.सी.ए. में प्रवेश लेने वाले छात्रों को वैध प्रवेश देने, छात्रों को नामांकन क्रमांक प्रदान करने और उन्हें याचिकाकर्ता महाविद्यालय के वास्तविक छात्र के

रूप में संबंधित परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया।

7.4. कोई अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित समझे प्रदान की जाए।

7.5. माननीय न्यायालय कृपया एक परमादेश रिट जारी कर उत्तरवादी विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता से शैक्षणिक वर्ष 2007-08 की संबद्धता शुल्क स्वीकार करने का निर्देश देने की कृपा करे।"

6. उत्तरवादी क्रमांक 2 ने प्रारंभिक आपत्ति उठाने के अतिरिक्त कि याचिकाकर्ता के पास अधिनियम की धारा 12 (4) के अधीन कुलाधिपति से अपनी शिकायतों के निवारण के लिए संपर्क करने का वैकल्पिक उपाय है, आगे तर्क है कि विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए विधि, अध्यादेश, विनियम या नियम संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन गारंटीकृत अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। आगे कहा गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता संस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध है, इसलिए नियामक कारक, जैसे नियुक्ति के लिए अर्हता और पात्रता, कर्मचारियों का वेतन ढांचा, कार्यभार, अवकाश आदि उन पर लागू होते हैं। इस बात से इनकार किया गया है कि विश्वविद्यालय और राज्य शासन छात्रों के प्रवेश, कर्मचारियों की नियुक्ति और कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। विश्वविद्यालय ने दोहराया है कि याचिकाकर्ता संस्थान परिनियम-28 के प्रावधानों की परिधि में कार्य करने के लिए बाध्य है और संस्थान अपनी पसंद की नियुक्तियाँ करने के स्वतंत्र नहीं है । आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने स्वयं संस्थान द्वारा की गई अनियमितताओं को स्वीकार किया है और परिनियम-28 के प्रावधानों का अनुपालन करने की घोषणा की है, इसलिए अब

याचिकाकर्ता संस्थान के लिए यह रुख अपनाना संभव नहीं है कि परिनियम-28 बंधनकारी नहीं है और याचिकाकर्ता को महाविद्यालय में अनियमितताओं को स्वीकार करने के लिए विवश किया गया था।

7. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कुलकर्णी का जोरदार ढंग से तर्क दिया है कि संविधान का अनुच्छेद 30 धार्मिक और अल्पसंख्यक संगठनों को अपनी रुचि का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह सुस्थापित विधि है कि शैक्षणिक संस्थानों पर नियंत्रण, शासी निकायों पर नियंत्रण, मान्यता/वापसी सहित संबद्धता की शर्तें, और कर्मचारियों, शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तों और शुल्क नियमों आदि जैसे प्रशासनिक पहलुओं को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधान न्यूनतम होने चाहिए और दैनिक प्रबंधन के प्रकरणों में, जैसे शिक्षण और गैर-शैक्षिणिक कर्मचारियों की नियुक्ति, और उन पर प्रशासनिक नियंत्रण, प्रबंधन को स्वतंत्रता होनी चाहिए और कोई बाहरी नियंत्रक संस्थान नहीं होनी चाहिए। उत्तरवादी क्रमांक 2, परिनियम-28 को लागू करने के बहाने, याचिकाकर्ता महाविद्यालय के दिन-प्रतिदिन के प्रकरणों में हस्तक्षेप कर रहा है, जैसा कि इस याचिका के साथ संलग्न विभिन्न पत्राचारों से स्पष्ट है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता को याचिकाकर्ता संस्थान के शासी निकाय की बैठकों के परिणामों से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

परिनियम-28 का भाग-III महाविद्यालयों के प्रबंधन के लिए शासी निकाय से संबंधित है और यह कार्यकारी परिषद द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है और राज्य के एक नामित व्यक्ति का भी प्रावधान करता है। यह शासी निकाय के गठन की विधि भी निर्धारित करता है। यह रिक्तियों को भरने की विधि से भी संबंधित है और महाविद्यालय पर यह दायित्व अधिरोपित करता है कि वह महाविद्यालय के शासी निकाय के पदाधिकारियों या सदस्यता में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन की सूचना

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विश्वविद्यालय को दे। परिनियम-28 के भाग-III के अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विश्वविद्यालय/राज्य को किसी संस्थान के शासी निकाय के प्रकरणों में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रदान करता है।

इसी प्रकार, कण्डिका-IV महाविद्यालय परिषद से संबंधित है, यह इसके गठन की प्रक्रिया, पदाधिकारियों के निर्वाचन/नियुक्ति की प्रक्रिया और परिषद के कर्तव्यों को नियंत्रित करता है। जबकि, खंड 17 से 22 चयन समिति के गठन और संस्थान के प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित हैं। खंड 29 स्थायीकरण के बाद शिक्षकों की सेवा समाप्ति से संबंधित है और यह प्रावधान करता है कि कार्यकारी समिति की अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। खंड 30 से 32 महाविद्यालय के किसी भी कर्मचारी या शिक्षक के निलंबन, शास्ति और अनुशासनिक प्राधिकार से संबंधित हैं और यह कार्यकारी परिषद को शासी निकाय द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध कर्मचारियों/शिक्षकों द्वारा की गई अपील पर विचार करने की शक्ति प्रदान करता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का अवलंब लेते हुए यह तर्क किया गया कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश, चाहे वे अनुदान प्राप्त हों या गैर-अनुदान प्राप्त, को राज्य या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है, जहाँ शैक्षणिक मानकों के हित में अर्हताएँ और पात्रता की न्यूनतम शर्तें प्रदान करने के अतिरिक्त, योग्यता-आधारित चयन की संभावना व्यावहारिक रूप से शून्य है। गैर-अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के प्रकरण में, प्रशासन को विनियमित करने के लिए नियंत्रण के नियामक उपाय न्यूनतम होने चाहिए। संस्थान द्वारा मान्यता की शर्तों के साथ-साथ विश्वविद्यालय से संबद्धता की शर्तों का अनुपालन करने के उपरांत, दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति, शिक्षण और गैर-शैक्षिणिक, और उन पर प्रशासनिक नियंत्रण के प्रकरणों में, प्रबंधन को स्वतंत्रता होती है और कोई बाहरी

नियंत्रण एजेंसी नहीं हो सकती। संविधान के अनुच्छेद 30(1) में निहित संस्था की स्थापना के अधिकार में छात्रों को प्रवेश देने, उचित शुल्क संरचना निर्धारित करने, शासी निकाय गठित करने, शिक्षण या गैर-शैक्षिणिक कर्मचारियों की नियुक्ति करने और किसी भी कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों का अनुपालन न करने पर कार्रवाई करने का अधिकार निहित है। छात्रों के प्रवेश, कर्मचारियों की भर्ती और ली जाने वाली शुल्क सहित दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

8. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि परिनियम-28 के प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। प्रवेश में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और संस्थान में शिक्षा के मानक को बनाए रखने के लिए उत्तरवादी क्रमांक 2 ने याचिकाकर्ता संस्थान को शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता महाविद्यालय ने जानकारी प्रदान करने के बजाय, संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अधीन संरक्षण का संदर्भ दिया। चूंकि याचिकाकर्ता संस्थान उत्तरवादी क्रमांक 2 से संबद्ध है, इसलिए उत्तरवादी क्रमांक 2 प्रवेश प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है और यह सुनिश्चित करने के लिए भी वह कर्तव्यबद्ध है कि संस्थान द्वारा नियोजित शिक्षकों के पास परिनियम-28 के अनुसार इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवश्यक न्यूनतम योग्यता हो। जब याचिकाकर्ता महाविद्यालय उत्तरवादी क्रमांक 2 के प्रश्नों का उत्तर देने में विफल रहा, तो विश्वविद्यालय के पास याचिकाकर्ता महाविद्यालय द्वारा छात्रों को दिए गए अनियमित प्रवेशों को अवैध घोषित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं था और तदनुसार अनुलग्नक पी-20 के अनुसार बीबीए पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी गई। याचिकाकर्ता के महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्रों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें विश्वविद्यालय की कंप्यूटर कक्षा में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई

और उन्हें किसी अन्य महाविद्यालय में दूसरे सेमेस्टर में प्रवेश लेने की विशेष अनुमति भी दी गई। यद्यपि, याचिकाकर्ता महाविद्यालय को बीबीए पाठ्यक्रम के दूसरे सेमेस्टर की कक्षाएं लेने से रोक दिया गया और उन्हें पहले की तरह वर्ष 2008-09 के लिए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश देने से भी रोक दिया गया।

9. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

10. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष **फ्रैंक एंथनी पब्लिक विद्यालय एम्प्लॉइज एसोसिएशन बनाम भारत संघ व अन्य 1987 एससी 311** में प्रकाशित प्रकरण में यह विचारधीन था और अभिनिर्धारित किया गया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रभावी साधन बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार किए गए नियामक उपायों को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन प्रदत्त गारंटीकृत अधिकार का अतिक्रमण करने वाला नहीं माना जा सकता है। प्रत्येक प्रकरण में प्रश्न यह है कि क्या अंतिम विश्लेषण में,निःसंदेह प्रबंधन के अधिकार के किसी भी भाग को पर्याप्त रूप से निरस्त किए बिना विशेष उपाय ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि कर्मचारियों के वेतनमान व अन्य भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन, उपादान, भविष्य निधि व अन्य निर्धारित लाभ उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा संचालित विद्यालयों में संबंधित स्तर के कर्मचारियों से कम नहीं होने चाहिए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि उपरोक्त सक्षम कर्मचारियों को लागू करने की प्रक्रिया और फलस्वरुप शैक्षणिक संस्थान की उत्कृष्टता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसलिए, ऐसे विनियमन अनुमेय हैं। किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन को अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्रदत्त गारंटीकृत मूल अधिकार की आड़ में अपने कर्मचारियों का

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

किसी अन्य निजी कर्मचारी से अधिक उत्पीड़न या शोषण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यद्यपि, यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे प्रावधान जिनके अधीन किसी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के कर्मचारी की बर्खास्तगी, निंलबन, पदावनति या सेवा की अन्य समाप्ति के लिए निदेशक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन करते हैं और इसलिए इन्हें गैर-अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं किया जा सकता।

11. **बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना बनाम मदरसा हनीफिया अरबी महाविद्यालय, जमालिया प्रबंध समिति व अन्य के प्रकरण में एआईआर 1990 एससी 695** में प्रकाशित प्रकरण में पहले के दृष्टिकोण को दोहराया गया है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को उनके प्रबंधन के विशेष अधिकार के बहाने उत्कृष्टता के मानक से नीचे गिरने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन साथ ही उनके संस्थानों को संचालित करने के उनके संवैधानिक अधिकार को प्रबंध समिति को खत्म या भंग करके या उसके स्थान पर तदर्थ समितियों की नियुक्ति करके पूरी तरह से नहीं छीना जा सकता है।

12. **टी.एम.ए. पई फाउंडेशन व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य (2002) 8 एससीसी 481** में प्रकाशित प्रकरण में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 (2) के सहपठित अनुच्छेद 30 (1) के अधीन अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार के सीमा का प्रश्न माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया और 11 माननीय न्यायाधीशों की एक पीठ गठित की गई। **टी.एम.ए. पई फाउंडेशन व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य (2002) 8 एससीसी 712** प्रकरण में दिनांक 10.4.2002 के आदेश के द्वारा प्रश्नों को पुनः विरचित किया गया। टी.एम.ए. फाउंडेशन (पूर्वोक्त) प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन 11 प्र-

श्नों के उत्तर दिए हैं जो विचारार्थ विरचित किए गए थे। वर्तमान याचिका के प्रयोजनार्थ सुसंगत प्रश्नों एवं उनके उत्तरों को निम्नानुसार पुनःप्रस्तुत किया जा रहा है ।

> **प्रश्न 4.** क्या अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, चाहे वह अनुदान प्राप्त हो या गैर-अनुदान प्राप्त, में छात्रों का प्रवेश राज्य शासन या उस विश्वविद्यालय द्वारा विनियमित किया जा सकता है जिससे वह संस्थान संबद्ध है?
>
> **उत्तर:** गैर-अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों जैसे विद्यालयों और स्नातक महाविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश, जहाँ योग्यता-आधारित चयन की संभावना व्यावहारिक रूप से शून्य है, शैक्षणिक मानकों के हित में योग्यता और पात्रता की न्यूनतम शर्तें प्रदान करने के अतिरिक्त, राज्य या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है।
>
> छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन परिकल्पित अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है, राज्य शासन या विश्वविद्यालय उस अधिकार में हस्तक्षेप करने का हकदार नहीं हो सकता है, बशर्ते कि गैर-अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पारदर्शी आधार पर हो और योग्यता का पर्याप्त ध्यान रखा जाए। प्रशासन का अधिकार, पूर्ण न होने के कारण, शैक्षिक मानकों को सुनिश्चित करने और उनकी उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए नियामक उपाय हो सकते हैं, और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश के प्रकरण में यह और भी अधिक आवश्यक होता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रश्न 5. (क) क्या अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने के अधिकार में छात्रों के प्रवेश और चयन की प्रक्रिया और पद्धति शामिल होगी?

उत्तर: किसी अल्पसंख्यक संस्थान की प्रवेश और छात्रों के चयन की अपनी प्रक्रिया और पद्धति हो सकती है, लेकिन ऐसी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए, और व्यावसायिक एवं उच्च शिक्षा महाविद्यालयों में छात्रों का चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए। अपनाई गई प्रक्रिया या किया गया चयन कुप्रशासन के समान नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि किसी गैर-अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान को भी उपरोक्त महाविद्यालयों में छात्रों को प्रवेश देने के अपने अधिकार का प्रयोग करते समय प्रवेश के लिए छात्रों की योग्यता की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में संस्थान उत्कृष्टता प्राप्त करने में विफल हो जाएगा।

प्रश्न 5. (ख) क्या अल्पसंख्यक संस्थानों के छात्रों के प्रवेश और प्रवेश की प्रक्रिया एवं पद्धति निर्धारित करने के अधिकार, यदि कोई हो, पर राज्य अनुदान प्राप्त होने का कोई प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: व्यावसायिक संस्थानों को अनुदान प्रदान करते समय, अनुदान प्रदान करने वाले प्राधिकरण को उपनियम या विनियम, अर्थात् वे शर्तें निर्धारित करने की अनुमति होगी जिनके आधार पर विभिन्न अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में योग्यता के आधार पर प्रवेश

दिया जाएगा, साथ ही गैर-अल्पसंख्यक छात्रों के लिए राज्य की आरक्षण नीति भी लागू होगी। योग्यता का निर्धारण या तो विश्वविद्यालय या संबंधित शासन द्वारा आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा और उसके बाद काउंसलिंग के माध्यम से, या व्यक्तिगत संस्थानों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जा सकता है - इसके लिए अपनाई जाने वाली पद्धति का निर्णय विश्वविद्यालय या शासन को करना होता है। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय भी अपना सकता है कि किसी अनुदान प्राप्त व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया जाए। ऐसे संस्थानों के प्रकरण में, शासन या विश्वविद्यालय को यह प्रावधान करने की अनुमति होगी कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए विचार दिखाया जाना चाहिए।

प्रश्न 5.(ग) क्या शैक्षणिक संस्थानों पर नियंत्रण, शासी निकायों पर नियंत्रण, मान्यता/वापसी सहित संबद्धता की शर्तें, तथा कर्मचारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तों और शुल्क के विनियमन आदि जैसे प्रशासन के पहलुओं को विनियमित करने वाले वैधानिक प्रावधान अल्पसंख्यकों के प्रशासन के अधिकार में हस्तक्षेप करेंगे?

उत्तर: जहाँ तक प्रशासन के पहलुओं को विनियमित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का संबंध है, एक गैर-अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के प्रकरण में, नियंत्रण के नियामक उपाय न्यूनतम होने चाहिए और मान्यता की शर्तों के साथ-साथ किसी विश्व-

विद्यालय या बोर्ड से संबद्धता की शर्तों का भी अनुपालन करना होगा, लेकिन दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के प्रकरण में, जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति, शिक्षण और गैर-शैक्षिणिक, और उन पर प्रशासनिक नियंत्रण, प्रबंधन को स्वतंत्रता होनी चाहिए और कोई बाहरी नियंत्रण संस्थान नहीं होनी चाहिए। यद्यपि, शिक्षण कर्मचारियों के चयन और अनुशासनिक कार्रवाई के लिए एक तर्कसंगत प्रक्रिया प्रबंधन द्वारा ही विकसित की जानी चाहिए।

अनुदान प्राप्त और गैर-अनुदान प्राप्त संस्थानों के उन कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए, जिन्हें दंडित किया जाता है या सेवा से बर्खास्त किया जाता है, एक तंत्र विकसित करना होगा, और हमारी राय में, उपयुक्त अधिकरणों का गठन किया जा सकता है, और तब तक, ऐसे अधिकरणों की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश के स्तर के न्यायिक अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

तथापि, राज्य या अन्य नियंत्रण प्राधिकारी किसी व्यक्ति को किसी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षक या प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त करने के लिए उसकी योग्यता से संबंधित न्यूनतम योग्यता, अनुभव व अन्य शर्तें हमेशा निर्धारित कर सकते हैं।

राज्य द्वारा अनुदान प्रदान किए जाने वाले शिक्षण व अन्य कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम बनाए जा सकते हैं, बिना कर्मचारियों पर प्रबंधन के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तक्षेप किए।

> गैर-अनुदान प्राप्त संस्थानों द्वारा ली जाने वाली शुल्क को विनियमित नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी भी संस्थान को प्रति-व्यक्ति शुल्क नहीं लेना चाहिए।"

13. **पी.ए. इनामदार व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य (2005) 6 एससीसी 537** में प्रकाशित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ ने इस बात पर विचार किया कि राज्य किस सीमा तक गैर-अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक या गैर-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया और छात्रों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में देय शुल्क के प्रकरण में विनियमन कर सकता है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गैर-अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रकरण में जो केवल मान्यता चाहते हैं लेकिन कोई अनुदान नहीं, "अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार" का अर्थ वास्तविक संस्थानों की स्थापना का अधिकार होना चाहिए जो प्रभावी रूप से समुदाय और उन विद्वानों की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे जो इन शैक्षणिक संस्थानों का आश्रय लेते हैं। पई फाउंडेशन (पूर्वोक्त) के कण्डिका 50 का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 'संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार', संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रयुक्त वाक्यांश में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैः (घ) कर्मचारियों (शिक्षण एवे गैर-शिक्षण) की नियुक्त करना ; और (ङ) यदि किसी कर्मचारी द्वारा कर्तव्य मे लापरवाही बरती जाती है तो कार्यवाही करना । आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

> "राज्य या बोर्ड या ऐसा करने के लिए सक्षम विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता या मान्यता को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि संस्थान एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है। हालांकि, संबद्धता या मान्यता की रुचि या आवश्यकता, योग्यता सुनिश्चित करने, शिक्षा की

> उत्कृष्टता और कुप्रशासन को रोकने की आवश्यकता के साथ अस्तित्व के अनुरूप शर्तों को निर्धारित करके विनियमन की अवधारणा को सामने लाती है। उदाहरण के लिए, शिक्षकों की गुणवत्ता को इंगित करने वाले प्रावधान किए जा सकते हैं, जिसमें उनके पास न्यूनतम योग्यताएं और पाठ्यक्रम निर्धारित किए जा सकते हैं। इसके विकास के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अस्तिव मान्यता या संबद्धता प्रदान करने की पूर्व शर्त के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि, दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। छात्रों के प्रवेश, कर्मचारियों की भर्ती और ली जाने वाली शुल्क की मात्रा सहित प्रबंधन के आवश्यक तत्वों को विनियमित नहीं किया जा सकता है।"

14. **सचिव मलंकारा सीरियन कैथोलिक महाविद्यालय बनाम टी. जोस व अन्य (2007) 1 एससीसी 386** में प्रकाशित प्रकरण में, जिसमें अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन से संबंधित सामान्य सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए यह अभिनिर्धरित किया गया है कि (क) यदि इसमें अपने शासी निकाय का चयन करना शामिल है, जिसमें संस्थान के संस्थापकों को संस्थान के प्रकरणों का संचालन और प्रबंधन करने के लिए विश्वास और भरोसा है; (ख) शैक्षिणिक स्टाफ (शिक्षक/व्याख्याता और प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य) के साथ-साथ गैर-शैक्षिणिक स्टाफ की नियुक्ति करना और यदि इसके किसी कर्मचारी की ओर से कर्तव्य की उपेक्षा की जाती है तो कार्रवाई करना; (ग) अपनी रुचि के योग्य छात्रों को प्रवेश देना और एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करना; (घ) संस्थान के लाभ के लिए अपनी संपत्ति और परिसंपत्तियों का उपयोग करना। अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकार केवल बहुमत के साथ समानता सुनिश्चित करने के लिए है राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, जन कल्याण, लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कराधान आदि से संबंधित देश के सामान्य विधि सभी पर ला-

गू होते हैं, समान रूप से अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होंगे। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार पूर्ण नहीं है। न ही इसे सुनिश्चित करने में कुप्रशासन का अधिकार शामिल है। शैक्षिक चरित्र और मानकों को सुनिश्चित करने और शैक्षिणिक उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए नियामक उपाय हो सकते हैं। प्रशासन पर जांच हो सकती है क्योंकि प्रशासन को कुशल और सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है, ताकि संस्थान की शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति किया जा सके। आम तौर पर छात्रों और शिक्षकों के कल्याण के संबंध में राज्य द्वारा बनाए गए नियम, पात्रता मानदंड और नियुक्ति के लिए योग्यताएं निर्धारित करने वाले नियम, साथ ही कर्मचारियों की सेवा की शर्तें (शैक्षिणिक और गैर-शैक्षिणिक दोनों), कर्मचारियों के शोषण या उत्पीड़न को रोकने के लिए नियम, और अध्ययन के पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या निर्धारित करने वाले नियम इस श्रेणी में आते हैं।इस तरह से अनुच्छेद 30(1) के तहत अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते है ।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णयों में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों से यह स्पष्ट है कि:-

- गैर-अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के प्रवेश, जहां योग्यता-आधारित चयन की संभावना व्यावहारिक रूप से शून्य है, को शैक्षणिक मानकों के हित में योग्यता और पात्रता की न्यूनतम शर्तें प्रदान करने के अतिरिक्त संबंधित राज्य या विश्वविद्यालय द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है और राज्य या विश्वविद्यालय इस अधिकार में हस्तक्षेप करने के हकदार नहीं हैं, जब तक कि गैर-अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पारदर्शी आधार पर हो और योग्यता का पर्याप्त ध्यान रखा जाए।

- अल्पसंख्यक संस्थान की प्रवेश और छात्रों के चयन की अपनी प्रक्रिया और पद्धति हो सकती है, लेकिन ऐसी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए, और

व्यावसायिक और उच्च शिक्षा महाविद्यालयों में छात्रों का चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए।

- गैर-अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के प्रकरण में प्रशासन के पहलुओं को विनियमित करने वाले वैधानिक प्रावधान न्यूनतम होने चाहिए। शिक्षण संस्थानों की शर्तें न्यूनतम होनी चाहिए। किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा मान्यता की शर्त और संबद्धता की शर्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए, लेकिन दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के प्रकरणों में, जैसे, कर्मचारियों की नियुक्ति, शिक्षण और गैर-शैक्षिणिक दोनों, और उन पर प्रशासनिक नियंत्रण, प्रबंधन को स्वतंत्रता होनी चाहिए और कोई बाहरी नियंत्रण संस्थान नहीं हो सकती है। यद्यपि, शिक्षण कर्मचारियों के चयन और अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए एक तर्कसंगत प्रक्रिया प्रबंधन द्वारा ही विकसित की जानी चाहिए और एक राय व्यक्त की गई है कि अनुदान प्राप्त और गैर-अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए, जिन्हें दंडित किया जाता है या सेवा से बर्खास्त किया जाता है, एक तंत्र विकसित करना होगा और उपयुक्त अधिकरण का गठन किया जा सकता है और तब तक उक्त अधिकरण की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश के स्तर के न्यायिक अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

16. इस प्रकरण में यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय, जो उत्तरवादी क्रमांक 2-विश्वविद्यालय से संबद्ध है, छत्तीसगढ़ फर्म एवं सोसायटी अधिनियम के अधीन पंजीकृत एक सोसायटी द्वारा स्थापित और प्रशासित किया गया है और इसे अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने परिनियम-28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के बहाने याचिकाकर्ता संस्थान को अपनी कार्यकारी समिति के कार्यवृत्त और उन बैठकों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है

जिनमें विश्वविद्यालय के नामित सदस्य उपस्थित थे। याचिकाकर्ता संस्थान को कार्यकारी समिति के निर्णय के अनुसार नियुक्ति के प्रकरणों में विधि के प्रावधानों का अनुपालन करने और बी.बी.ए. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं देने का निर्देश दिया गया था। उपरोक्त मांग को विभिन्न संचारों के माध्यम से दोहराया गया और इस बात पर बल दिया गया कि बी.बी.ए. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश पर लगाया गया प्रतिबंध जारी रहेगा। अंत में, अनुलग्नक पी-19 दिनांक 4.1.2008 का सूचना याचिकाकर्ता संस्थान को जारी किया गया, जिसमें उनसे आरोपों पर तीन दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया कि छात्रों को उत्तरवादी विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद प्रथम वर्ष बीबीए पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था और उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने के लिए विवश किया गया था और इसलिए याचिकाकर्ता संस्थान के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पर विचार किया गया था। उसी दिन अनुलग्नक पी-20 के अधीन याचिकाकर्ता संस्थान के बीबीए प्रथम वर्ष के छात्रों की अंग्रेजी पेपर की परीक्षा रद्द कर दी गई और बाद में ऐसे छात्र, जिन्हें याचिकाकर्ता महाविद्यालय में प्रवेश दिया गया था, वे छात्र थे, जिन्हें अमहाविद्यालयीन छात्रों के रूप में अपने फॉर्म जमा करने की अनुमति प्रदान की गई थी और उन्हें नियमित छात्र के रूप में अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेने की विशेष अनुमति भी दी गई थी। याचिकाकर्ता संस्थान के प्राचार्य को उपरोक्त प्रवेशित छात्रों से संबंधित अभिलेख प्रबंधन संस्थान और कंप्यूटर विद्यालय को सौंपने का निर्देश दिया गया था।

17. इस याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों के साथ-साथ उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा अपनी वापसी के साथ दाखिल दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता संस्थान के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने संस्थान में ऐसे शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त किया है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। उत्तरवादी क्रमांक 2-विश्वविद्यालय का यह भी प्रकरण नहीं है कि प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता है या छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, जो

ऐसे प्रवेश के लिए पात्रता की न्यूनतम शर्तें पूरी नहीं करते। अतः इस न्यायालय की सुविचारित राय में, प्रथम वर्ष बीबीए में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने में उत्तरवादी क्रमांक 2-विश्वविद्यालय का उक्त पाठ्यक्रम और याचिकाकर्ता महाविद्यालय के छात्रों के उक्त पाठ्यक्रम के अंग्रेजी पेपर को रद्द करने का आगे का निर्देश, परिनियम-28 के अधीन शक्तियों के कथित प्रयोग में भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन करते हुए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के दिन-प्रतिदिन के प्रकरणों में हस्तक्षेप करने के समान है।

18. इसी प्रकार, परिनियम-28 (महाविद्यालय कोड) विशेष रूप से, भाग-**III**, **IV**, खंड 17 से 21, खंड 29, भाग-**VI** और खंड 30 से 32 जो महाविद्यालय के प्रबंधन के लिए शासी निकाय के सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों और शासन के एक नामित व्यक्ति की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है; महाविद्यालय परिषद का गठन; सचिव की नियुक्ति: शासी निकाय में रिक्ति को भरने की प्रक्रिया: शासी निकाय की बैठक की आवृत्ति: समाज की संपत्ति के अंतरण पर प्रतिबंध: प्राचार्य की नियुक्ति, दिशा-निर्देश, शुल्क, वेतनमान और सेवा की अन्य शर्तों के लिए चयन समिति का गठन और शिकायतों के निवारण के लिए मंच का निर्धारण, प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति, अनुशासनिक कार्रवाई आदि के प्रकरण में कार्यकारी परिषद की मंजूरी की आवश्यकता पर बल देने वाला प्रावधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अधीन गारंटीकृत अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के लिए एक गैर-अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान के अधिकार में गंभीर हस्तक्षेप है और इसलिए, इसे उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा परिनियम-28 के अनुसार कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव के बहाने लागू नहीं किया जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. उत्तरवादी क्रमांक 2- विश्वविद्यालय याचिकाकर्ता महाविद्यालय के छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि गैर-अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेश पारदर्शी आधार पर हो और योग्यता का पर्याप्त ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार, प्राचार्य एवं शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति के प्रकरणों में, विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता महाविद्यालय के शिक्षक या प्राचार्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता से संबंधित न्यूनतम योग्यता, अनुभव व अन्य शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है और इस संबंध में बनाए गए नियमों को कर्मचारियों पर प्रबंधन के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तक्षेप किए बिना बनाए जा सकते हैं।

20. इसी प्रकार, याचिकाकर्ता महाविद्यालय, जो एक गैर-अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, के प्रकरण में मान्यता और संबद्धता के लिए शर्तें लगाई जा सकती हैं, यद्यपि, कर्मचारियों की नियुक्ति, शिक्षण और गैर-शैक्षिणिक दोनों, उन पर प्रशासनिक नियंत्रण और सोसाइटी के प्रबंधन के प्रकरणों में हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। गैर-अनुदान प्राप्त याचिकाकर्ता संस्थान के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के प्रकरण में भी, उत्तरवादी क्रमांक 2-विश्वविद्यालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जैसा कि टी.एम.ए. पई फाउंडेशन (पूर्वोक्त) के प्रकरण में निर्णय दिया गया है और उपयुक्त अधिकरण की नियुक्ति पर बल दिया जा सकता है।

21. फलस्वरुप याचिका निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकार की जाती है,-

- अनुलग्नक पी-23 के दिनांक 1.2.2008 के आदेश को एतदद्वारा अपास्त किया जाता है और उत्तरवादी क्रमांक 2-विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश में की गई टिप्पणियों के आलोक में याचिकाकर्ता

महाविद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2007-08 के लिए छात्रों के प्रवेश पर नए सिरे से विचार करे।

➤ परिनियम-28 का भाग-**III** और **IV**, जो:

- शासी निकाय में विश्वविद्यालय और राज्य शासन के प्रतिनिधि के नामांकन का प्रावधान करता है;
- शासी निकाय के गठन और कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करता है:
- शासी निकाय की बैठक को विनियमित करता है;
- शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, निलंबन और शास्ति के प्रकरणों में कार्यकारी समिति के अनुमोदन की शर्तें अधिरोपित करता है:

परिनियम-28 के खंड 17 से 21 में निम्नलिखित प्रावधान है:

- महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन की प्रक्रिया निर्धारित करता है और यह भी निर्धारित करता है कि समिति में कुलपति या उनके द्वारा नामित व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे;

- कार्यकारी परिषद के नामित व्यक्ति;

- चयन पद्धति, शिक्षकों एवं प्राचार्य की विभिन्न श्रेणियों के लिए वेतनमान एवं वार्षिक वेतन वृद्धि निर्धारित करती है।

- परिनियम-28 का खंड 29, जो स्थायी शिक्षक की सेवा समाप्ति के प्रकरण में कार्यकारी परिषद के अनुमोदन को अनिवार्य बनाता है और सेवा समाप्ति के लिए शर्तें भी निर्धारित करता है, तथा परिनियम-28 के भाग-**VI** का खंड 31, 31 और 32, जिसके द्वारा शिक्षक या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही को विनियमित करने की मांग की जाती है। याचिकाकर्ता संस्थान, जो एक मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, के प्रशासन पर अनुचित प्रतिबंध अधिरोपित करता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन उनके गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन भी करता है और इस प्रकार, उत्तरवादी क्रमांक 2-विश्वविद्यालय द्वारा याचिकाकर्ता संस्थान के विरुद्ध इसे लागू नहीं किया जा सकता है।

22. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति

सही/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ; Vikeshveri